Click to show one page at a time

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

सिविल सेवा आचरण नियम

M.P./C.G. Civil Services (Conduct) Rules, 1965

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना
क्रमांक 77/4785/2001/1/3, दिनांक 27.8.2001 द्वारा यह नियम,
आदेशों सहित अनुकूलित

लेखक
श्रीनिवास पराडकर
(सेवानिवृत्त) म.प्र. वित्त सेवा अधिकारी

प्रकाशक
अमर लॉ पब्लिकेशन
70-71, एम.जी. रोड, रामपुरावाला बिल्डिंग, इन्दौर- 452007
फोन : (दु.) (0731) 2531891, 4074750 (नि.) 4074752
(मो.) 93013-55055, 98270-37713

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
रायपुर, दिनांक 27 अगस्त, 2001

अधिसूचना

क्रमांक 77/4785/2001/1/3.- मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्-

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम **विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है।**

(दो) यह 1 नवमाबर, 2000 से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवत्त होगा।

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियाँ जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द **''मध्यप्रदेश''** जहाँ कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द **''छत्तीसगढ़''** स्थापित किये जाएँ।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी -

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
2.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(इन्दिरा मिश्रा)
प्रमुख सचिव

Scanned by CamScanner

नियम 21 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) No. 16080-2375/I (iii), 6th August, 1959	Transfers and postings of Government servants	243
(2) No. 279/272/I (iii)/65 5th February, 1966	Transfers and postings of Government servants.	244
(3) क्रमांक 1575/1964/एक (3) दिनांक 27 सितम्बर, 1969	शासकीय कर्मचारियों द्वारा बिना अनुमति के मुख्यमंत्री जी से अपने सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में मुलाकात करने के बारे में अनुदेश।	244
(4) क्रमांक 555/220/एक (3), दिनांक 20 फरवरी, 1970	शासकीय सेवकों द्वारा अभ्यावेदनों की प्रतियाँ ऐसे अधिकारियों को भेजना जिनका उन पर कोई प्रशासकीय नियंत्रण न हो।	245
(5) क्र. 1272/प्रसको/70, दिनांक 12 नवम्बर, 1970	शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डालना।	245
(6) एफ क्र. सी/13-14/73/3/1	सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में।	246
(7) एफ. क्र. 5-6/77/3/1, दिनांक 4 जुलाई, 1977	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना, इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना।	246
(8) एफ. क्र. 5-6/77/3/1 दिनांक 29 जुलाई, 1977	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना।	246

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश-

(1) क्र.एफ-1-2/2003/1/3 दिनांक 2 जून 2004	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तरण, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना।	247
(2) क्र.एफ-5-6/77/3/1, दिनांक 4 जुलाई, 1977	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना, इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना।	248
(3) क्र.एफ-2-1/2003/1/3 दिनांक 16 जून 2003	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना।	248

नियम 21 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

स्थानान्तर पर राजनीतिक दबाव डालना 249

नियम-22
द्विविवाह
(Bigamous Marriage)

1. नियम 250

2. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश

GBC, Part I, Sl. No. 9 Para 17 250

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश-

(1) क्र. एफ 2-1/2004/1-3 दिनांक 28 जन. 2006	कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध में निर्धारित मागदर्शी सिद्धान्त का अनुपालन।	250

(2) क्र. एफ-02-01/2004/1-3 दिनांक 10 अप्रैल, 2013 — कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन।

No. 1482-945/I (iii)/61 6th June, 1961 — Plural marriages-Requests of Government servants for permission to remarry while first wife is still living.

3. नियम 22 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) आचरण नियम में पत्नी के जीवित रहते दूसरे विवाह के लिये अनुज्ञा प्राप्त करना मुस्लिम समुदाय के शासकीय सेवकों के लिये लागू है और नियम वैध है

(2) बिना अनुमति के मुस्लिम शासकीय सेवक द्वारा तीसरा विवाह करना-चूंकि मुस्लिम स्वीय विधि में ऐसा विवाह अनुज्ञेय है अतः शास्ति कठोर है-एक वेतनवृद्धि रोकना पर्याप्त

(3) एक शासकीय सेवक का दूसरे शासकीय सेवक से द्विविवाह करना-आचरण नियम का उल्लंघन-सेवा से पदच्युत करना उचित-शास्ति की मात्रा का न्यायिक परीक्षण

(4) बिना अनुमति के दूसरा विवाह करना-आरोप अस्पष्ट तथा कहे-सुने बयानों पर विश्वास का प्रभाव-विभागीय जांच में प्रमाण का मापदण्ड

(5) द्विविवाह का आरोप-विभागीय जांच-विभागीय कार्यवाही के सीमित उद्देश्य के लिये, दूसरे विवाह के प्रश्न को परीक्षण से विभागीय प्राधिकारियों को रोका नहीं जा सकता। पदच्युत आदश के प्रचलन को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर स्थगित करना कि दूसरे विवाह का प्रश्न विभागीय प्राधिकारियों के निर्णय पर नहीं तोड़ा जा सकता,उचित नहीं था-अभिनिर्धारित, विभागीय कार्यवाहियों के बाद अपचारी अपने वैवाहिक स्थिति (matrimomat status) हेतु सिविल या वैवाहिक न्यायालय जा सकता है।

(6) पत्नी के जीवित रहते दूसरी स्त्री से सम्बन्ध रखना-विभागीय जांच में दूसरी स्त्री का बयान न लेना, अभियोजन के लिये घातक-साक्ष्य के अभाव में आरोप स्थापित नहीं। पुरुष शासकीय सेवक का एक स्त्री से यौन संबंध रखना-क्या प्रतिषेधी कानून अनुपस्थिति में दुराचार है, हाँ।

नियम 22-क

अवचार की सामान्य धारणा

(General Concept of Misconduct)

1. नियम

2. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश

GBC Part I, Sl. No. 9 para 3 — आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें- देखें नियम 3 के निर्देश।

नियम 22क के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) शासकीय आवास का रिक्त न करना कदाचार है- सेवक ने, कार्यालय की अनुमति से, अपने साथी के आवास में, जो मूल ग्राही (allottee) था, इस लिखित वचनपत्र

के साथ रहता था कि जब मूल ग्राही, आवास खाली करेगा तब वह भी खाली कर देगा-किन्तु उसने ऐसा करने से इन्कार किया-अभिनिर्धारित, इसे उचित नहीं कहा जा सकता और न ही प्रोत्साहित किया जा सकता है- अतः अनुशासनिक कार्यवाही उचित-यह तर्क अस्वीकार किया गया कि आचरण नियम आकृष्ट नहीं होते।

नियम-23

मादक पेयों तथा औषधियों का उपभोग

(Consumption of Intoxication Drinks and Drugs)

. नियम 259

. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश 259

1) G.B.C. Part I, Sl. No. 9 Para 20	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें ।	259
2) क्र. सी. 5-2/84/3/I दिनांक 16 मई, 1984	मादक पेयों और औषधियों के सेवन के संबंध में आचरण नियमों में दिये गये उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता।	259
3) एफ. क्र. सी-41/90/3/49 दिनांक 9 अगस्त, 1990	शासकीय सेवा में नियुक्ति-कर्मचारियों से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23 के अंतर्गत वचन-पत्र लेना।	260

3. नियम 23 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) ड्यूटी पर रहते हुए बस ड्रायवर का शराब पीना-अवचार 261

(2) पुलिस आरक्षक का रिवाल्वर सहित अधिकतम नशे की स्थिति में ड्यूटी पर होना-गंभीरतम अवचार का कृत्य, सेवा से पदच्युत उचित 262

नियम 23-क

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध

(Prohibition regarding Employment of Children below in 14 years of age)

1. नियम 263

2. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश

(1) क्र. सी.-5-1/93/3/एक दिनांक 27 सितम्बर, 2000	शासकीय कर्मियों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से गृह कार्य न करवाने बाबत।	263

नियम-24

निर्वचन

(Interpretation)

1. नियम 264

2. नियम 24 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय- 264

(1) विवेक के अधीन शक्तियों का प्रयोग 264

(2) समन गुप्ता बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य 264

नियम-25

शक्तियों का प्रत्यायोजन

(Delegation of Powers)

1. नियम
2. शक्तियों का प्रत्यायोजन — इन नियमों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियाँ

नियम-26

निरसन द्वारा व्यावृत्ति

(Repeal and Saving)

1. निरसित नियम

परिशिष्ट

(Appendix)

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

(ख) मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982

(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

(घ) आचरण नियम अनुसार कार्य जिन्हें करने के पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है तथा कार्य जिसमें स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है का परिशिष्ट

(ङ) शासकीय कर्मचारी अपने कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान क्या करें ? और क्या न करें ?

- - - - -

नियम 20 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय

(1) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 17- सेवा के सदस्यों के कार्यों और चरित्र के विरुद्ध दोष के प्रतिकार हेतु सदस्यों पर अवरोध-किसी समारोह में दिया गया भाषण उसका पदीय कार्य नहीं माना जाएगा और व्यक्तिगत हैसियत में किए गए कार्य नियम 17 द्वारा लगाए गए अवरोध के क्षेत्र से बाहर होंगे- अतः नियम 17 आकर्षित नहीं होगा.- तमिलनाडु सरकार और अन्य बनाम बद्रीनाथ और अन्य : AIR 1987 SC 2381 : (1987) 4 SCC 654 : 1988 SCC (L&S) 44 : के मामले में बद्रीनाथ प्रत्यर्थी क्रमांक 1 थे जो तमिलनाडु के अभिलेखागार एवं ऐतिहासकि अनुसंधान आयुक्त थे। उन्होंने 7.9.1971 को हिस्ट्री एसोसिएशन ऑफ दि प्रेसिडेन्सी कालेज, मद्रास द्वारा आयोजित एक समारोह में दिल्ली के लाल किला की सीमाओं में दबाए गए टाइम कैप्सूल (time capsule) की आलोचना करते हुए दिए भाषण में कहा कि वह ऐतिहासिक तथ्यों के मिथ्या वर्णन से परिपूर्ण है और उन्होंने उसे इस रूप में कहा कि वह 'न तो इतिहास है और न ही कथा-साहित्य (neither historical nor fiction)। इस पर संसद तथा राष्ट्रीय प्रेस में हंगामा हुआ। टाइम कैप्सूल की प्रामाणिकता के बारे में उठाए गए विवाद से परेशान होकर सरकार ने बद्रीनाथ के विरुद्ध अनुशासनिक जाँच प्रारम्भ की कि सिविल सेवक होने के नाते उससे यह वांछनीय नहीं था कि वह टाइम कैप्सूल के बारे में सार्वजनिक चर्चा में भाग लेता। किन्तु राज्य सरकार ने दिनांक 25.8.1977 के आदेश से अनुशासनिक कार्यवाही बंद कर दी। दिनांक 24.8.1977 को इंडियन एक्सप्रेस में टाइम कैप्सूल से सम्बन्धित विवाद के बारे में एक समाचार छपा जिसमें यह कहा गया था कि एक सरकारी प्रवक्ता ने प्रत्यर्थी क्र. 1 पर 'सिविल सेवा में भीतर ही भीतर ध्वंसन करने' का प्रयास करने का आरोप लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस से पूछताछ करने पर उसके संवाददाता ने सूचित किया कि वह सरकारी प्रवक्ता मुख्य सचिव, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 था। बद्रीनाथ प्रत्यर्थी क्र. 1 ने मानहानि हेतु प्रत्यर्थी क्र. 2 मुख्य सचिव के विरुद्ध वाद स्थापित करने की अनुज्ञा की ईप्सा करते हुए नियम 17 के अधीन सरकार की स्वीकृति हेतु आवेदन किया। सरकार ने अनुज्ञा देने से इन्कार किया। बद्रीनाथ ने इनकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट फाइल की। एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर रिट याचिका खारिज कर दी कि अनुज्ञा से इन्कार किया जाना लोकहित में था। खण्ड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए, कि राज्य सरकार द्वारा नियम 17 के अन्तर्गत अपेक्षित अनुज्ञा अनुदत्त करने से की गई इन्कारी को लोकहित के आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, मंजूर कर ली। इस पर राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। दिंनांक 15.10.1987 को अपील मंजूर करते हुए अभिनिर्धारित किया कि-

''आचरण नियमों के सूक्ष्म विश्लेषण से स्पष्टतः यह प्रकट होता है कि नियम 17 के प्रावधान सेवा के सदस्य पर अवरोध के अलावा कुछ नहीं है। नियम 17 तथा उसके साथ पठित स्पष्टीकरण में निम्नलिखित प्रावधान है :-

17. Vindication of acts and character of members of the Service.- No member of the Service, shall, except with the previous sanction of the Government, have recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or any attack of a defamatory character.

Explanation.- Nothing in this rule shall be demed to prohibit a member of the Service from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity, provided that he shall submit a report to the Government regarding such action.

नियम 17 के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार, यह अखिल भारतीय सेवा के सदस्य पर लोक सेवक के रूप में अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्य के लिए मानहानि की नुकसानी हेतु वाद वाले अथवा अपने पदीय कार्य या चरित्र के प्रतिकार हेतु प्रेस जाने के लिए अवरोध की प्रकृति वाला है। नियम 17 का स्पष्टीकरण नियम 17 द्वारा लगाए गए अवरोध की व्याप्ति और प्रभाव को निर्बन्धित करता है। यद्यपि सेवा का कोई सदस्य अपने चरित्र या उसके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से कि गये किसी कृत्य के विरुद्ध दोष का प्रतिकार करने से निषिद्ध नहीं है, तथापि उसका परन्तुक उस पर ऐसी कार्यवाही बाबत् सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कर्तव्य डालता है।

नियम 17 की अपेक्षाएं है कि- (i) वह कार्य जो प्रतिकूल आलोचना की विषयवस्तु रहा है, पदीय कार्य होना चाहिये, तथा (ii) आलोचना अथवा आक्षेप मानहानिकारक प्रकृति का होना चाहिये। हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिव्यक्त मत से पूर्णतः सहमत हैं। उनके द्वारा किए गये अर्थान्वयन से भिन्न अर्थान्वयन करना संभव नहीं है।

वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी क्र. 1 बद्रीनाथ ने कालेज द्वारा आयोजित समारोह में उस समय भाषण दिया था जब वे अभिलेखागार और ऐतिहासिक अनुसंधान आयुक्त का पद धारण कर रहे थे। उन्हें सम्भवतः इस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के कारण उस अवसर पर भाषण देने हेतु आमंत्रित किया गया था। किन्तु उस अवसर पर उसके द्वारा किया गया भाषण उसका पदीय कार्य नहीं माना जा सकता और इसलिए प्रत्यर्थी क्र. 2 तमिलनाडु के तत्कालीन मुक्य सचिव के विरुद्ध उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद उसके पदीय कार्य के प्रतिकार के लिए लाया गया वाद नहीं माना जा सकता था। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि प्रायः विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इन अवसरों की शोभा बढ़ाने या वहाँ भाषण देने के लिए बुलाया जाता है और जब वे ऐसी करते हैं तो निस्सन्देह रूप से वे विभिन्न विषयों पर अपने व्यक्तिगत विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। कल्पना की किसी भी सीमा तक मात्र इस कारण कि वे लोक पद धारण करते हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ऐसा करते समय अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य किया है।"

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 का सेक्शन 3 (क्यू) (पाँच)- सेवा के मामले-सरकार के CrPC के सेक्शन 197 के अंतर्गत स्वीकृति देने से इन्कार करने के संबंध में शिकायत-अधिनियम के क्लाज (पाँच) के अन्तर्गत सेवा का मामला नहीं- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 17 भी लागू नहीं। अतः याचिका निरस्त.- श्री पी.सी. नवानी, आय.पी.एस. (सेवानिवृत्त) याची ने अहमदाबाद प्रशासनिक अधिकरण में याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के सेक्शन 197 के अंतर्गत उन्हें- (i) श्री माधोसिंह सोलंकी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, (ii) श्री प्रवोधवाई रावत, भूतपूर्व गृहमंत्री, तथा (iii) श्री टी.वी. शाह, भूतपूर्व महानिदेशक पुलिस तथा पुलिस महानिरीक्षक, गुजरात राज्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 166 तथा 175 और बम्बई पुलिस अधिनियम, 1951 के सेक्शन 145(2) के अंतर्गत अभियोजन करने के लिए स्वीकृत प्रदान करने हेतु सरकार को निदेशित किया जाए। याची के असार उसने गुजरात सरकार के राज्यपाल को दिनांक 23.12.1985 के प्रार्थनापत्र द्वारा अभिकथित अपराधों से अवगत करा दिया है और उनसे स्वीकृत प्रदान करने हेतु निवेदन किया था।

पी.सी. नवानी बनाम गुजरात सरकार : 5 ATC 645 : में प्रत्यर्थियों की ओर से तर्क किया गया कि- (1) आवेदन की विषयवस्तु 'सेवा का मामला' नहीं है, तथा (2) जहाँ तक याची द्वारा अभिकथित

अपराधों के लिए दंड न्यायालय में अपने पूर्व अधिकारी के अभियोजन करने के बारे में स्वीकृति का प्रश्न है, यह प्रश्न कानून से संबंधित है श्री नवानी के अनुसार, अधिकरण अधिनियम के सेक्शन (2) (क्यू) (पांच) में उल्लेखित 'भी भी दूसरा मामले' (any other matter whatsoever) में स्पष्ट प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 197 के अंतर्गत उस प्रकरण हेतु आज्ञा मांगने का इन्कार करना शामिल है। अधिकरण ने यह व्यक्त किया कि:

''यह सच है कि अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत प्रशासकीय अधिकरण स्थापित होने के बाद, सेवा मामलों के न्यायनिर्णयन (adjudication) हेतु उच्च न्यायालय की न्यायनिर्णयन तथा शक्ति ले ली गई है। जे.बी. चोपड़ा बनाम भारत सरकार संघ : AIR 1987 SC 357 : (1987) 1 SCC 422 : 2 ATC 344 : में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय के लिए प्रतिस्थापित किया गया है, जो सेवा संबंधी मामलों के विवादों, संविधान से संबंधित सभी प्रश्नों को फैसला अथवा ऐसे सभी कानूनों को जो संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16(1) का उल्लंघन करते हों, खंडित करने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र, शक्ति तथा अधिकार प्राप्त है। अतः हमारे विचार के लिए केवल यह प्रश्न है कि आवेदन में उठाया गया प्रश्न क्या ''सेवा सम्बन्धित मामला'' है। हमारा उत्तर नकारात्मक है।.....

यह प्रासंगिक है कि श्री नवानी, आई.पी.एस. गुजरात राज्य के महानिदेशक तथा पुलिस महानिरीक्षक पद से 28.2.1985 को सेवानिवृत्त हुए इसके 10 महीने बाद, दिनांक 23.12.85 को राज्यपाल को संबोधित पत्र में प्रत्यर्थी 2, 3 तथा 4 के विरुद्ध सेक्शन 197 के अंतर्गत की गई शिकायत पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निवेदन किया यह ध्यान देना सार्थक है कि न तो इस पत्र में और न ही याचिका में उन्होंने सेवा की शर्तों अथवा नियमों के उल्लंघन को संदर्भित किया है जिसका न्यायनिर्णयन करना हो। यद्यपि याचिका प्रस्तुत करने के समय अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 17 के प्रावधानों पर बल देते हुए तर्क किया कि इसके अंतर्गत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना उनका कर्तव्य है। इस तर्क के समर्थन में बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु सरकार : AIR 1986 Mad 3 : (1985) 2 Mad LJ 318 : पर निर्भर कि.या। इसके अनुसार, दांडिक कार्यवाहियाँ स्थापित करने के लिए आचरण नियम 17 नहीं रोकती है। हमें इस तर्क में कोई सार नहीं मिलता।

स्वीकार्य है कि इस मामले में याची का यह तर्क नहीं है कि प्रत्यर्थी 2, 3 तथा 4 ने उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल आलोचना की हो अथवा मानहानिकारक आक्षेप का शिकार हो। फलस्वरूप इस नियम के अंतर्गत सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता। याची एक सेवानिवृत्त शासकीय सेवक है, और एक नागरिक होने की हैसियत से अपनी शिकायत के निवारण हेतु सक्षम न्यायालय में निर्णय प्राप्त करने का उसे अधिकार है।''

पी.सी. नवानी बनाम गुजरात तथा अन्य : 11 ATC 641 : के मामले में आवेदक 28.2.1985 को सेवानिवृत्त हो चुका था। अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि याची के उन्मुक्ति (relief) स्वीकार करना अधिकरण के कार्यक्षेत्र के बाहर है। अतः आवेदन लेने के स्टेज पर ही अस्वीकार किया जाता है।

- - - - -

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय : एक परिचय

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर,छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक वैभव से सम्पन्न सरगुजाचंल में हरीतिमा से ओतप्रोत परिदृश्य में स्थित है। महाविद्यालय की स्थापना सन् 1960 में स्नातक महाविद्यालय के रूप में हुई थी। सन् 1973 में शासन द्वारा इसे स्नातकोत्तर महाविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई। प्रारम्भ में यह महाविद्यालय सागर विश्व विद्यालय से सम्बद्ध रहा। सन् 1983 तक यह रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध रहा तथा 2008 तक गुरू घासीदास विश्व विद्यालय बिलासपुर से सम्बद्ध रहा। वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय,अम्बिकापुर से सम्बद्ध है ।

महाविद्यालय में चार संकायों कला, वाणिज्य, विज्ञान तथा विधि में अध्यापन की व्यवस्था है।

शासन के मार्गदर्शन तथा जिला प्रशासन,नागरिको,जनप्रतिनिधियों एवं महाविद्यालय परिवार के बहुमूल्य सहयोग से महाविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जनभागीदारी समिति का गठन इसी दिशा में एक ठोस कदम है। महाविद्यालय का मुख्य भवन अम्बिकापुर- मनेन्द्रगढ़ रोड पर और इसका एक खण्ड विद्यावृत अम्बिकापुर- बनारस रोड़ पर स्थित है। 2009-10 का वर्ष महाविद्यालय का गौरवपूर्ण स्वर्ण जयंती वर्ष था। महाविद्यालय के पास स्वयं के दो भवन तथा 42 एकड़ भूमि मे फैला एक विशाल खेल मैदान, जिम्नेजियम तथा हॉकी स्टेडियम है। वर्तमान में जनभागीदारी समिति द्वारा निर्मित अध्यापन कक्षों (भूतल एवं प्रथम तल) का निर्माण किया गया है। 100 छात्रों हेतु छात्रावास है।50 शय्या का महिला छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

सामान्य विवरण-

01. महाविद्यालय में चार संकायों के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा है - ये संकाय हैं कला, विज्ञान,वाणिज्य, विधि एवं कम्प्यूटर विज्ञान। कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र,इतिहास,भूगोल, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र एवं संस्कृत विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक शास्त्र इलेक्ट्रानिक, वनस्पति शास्त्र , रसायन शास्त्र,गणित,प्राणि शास्त्र एवं भूगर्भ शास्त्र। विगत वर्षो में योग्य, कुशल एवं अनुभवी प्राध्यापकों के शिक्षण और मार्गदर्शन से छात्रों ने निरंतर उत्तम परीक्षाफल तथा शोध उपाधियाँ हासिल कर महाविद्यालय तथा क्षेत्र को गौरवान्वित किया है।
02. सन् 1994-95 से स्नातकोत्तर कक्षाएँ स्वशासी प्रणाली के अंतगर्त संचालित की जा रहीं हैं। स्नातक कक्षाओं हेतु विषयों का चयन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय समूह के अनुसार हीं किया जा सकेगा। प्रत्येक विद्यार्थी अपने द्वारा चुने गये विषय समूह के अंतर्गत ही वांछित विषय को लेने के लिए सक्षम होगा।
03. महाविद्यालय में 2006-07 से सेमेस्टर प्रणाली लागू है। इसके अंतर्गत स्नातकोत्तर के प्रत्येक विषय में चार सेमेस्टर होंगे। प्रथम/तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा माह नवम्बर/दिसम्बर तथा द्वितीय /चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल/मई में आयोजित होगी।प्रत्येक सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अधिकतम 80 अंको में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में आंतरिक मूल्यांकन हेतु 30 अंक निर्धारित किये गये है। उत्तीर्ण होने के लिए छात्र को आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना होगा।
04. इसी प्रकार स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी केवल उन्हीं शैक्षणिक प्रश्न-पत्र लेने की अनुमति दी जावेगी, जिनके अध्यापन के लिए महाविद्यालय में सभी दृष्टियों से पर्याप्त सुविधा होगी।
05. महाविद्यालय में क्रीडा हेतु सुविधा एवं मैदान उपलब्ध है। क्रीडा के लिए प्रभारी प्राध्यापक है जिनके मार्गदर्शन में तथा क्रीडा अधिकारी के सहयोग से सम्पूर्ण क्रिया -कलापों का कार्यान्वयन तथा नियंत्रण किया जाता है।
06. महाविद्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक प्रोक्टोरियल बोर्ड है जो प्रवेश एवं अनुशासन के संबंध में पूर्ण रूपेण अधिकृत है।
07. एन.सी.सी. की एक कम्पनी है जिसमें कुल 107 विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। एन.सी.सी. की गतिविधियों का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण एन.सी.सी. अधिकारी द्वारा किया जावेगा। एन.सी.सी. अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रत्येक विद्यार्थी सामाजिक सेवा एवं दैनिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में नियमित रूप से उपस्थित हो इसके लिए समयबद्ध तरीके से निर्देशो का पालन करेगा।
08. राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयाँ है । प्रत्येक में 100 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रशिक्षण योजना,शिविर कार्यक्रम एवं सामान्य व्यवस्था का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करेंगे। इस इकाई का प्रत्येक विद्यार्थी सदस्य योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में रूचि लेकर पारस्परिक सहयोग से भी योजनाओं को निष्ठा से पूर्ण कर महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा का निर्वाह करेंगे।
09. विभिन्न प्रकार के देय शुल्क,शुल्क मुक्ति प्रवेश के नियम एवं मार्गदर्शन सिद्धांत आचरण सहित छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों की जानकारी छात्र सहायता निधि अनुशासन संबंधी नियम उपस्थिति महाविद्यालयीन एवं प्रवेश आवेदन प्रारूप सभी की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके पालक का कर्तव्य है कि इनसे भली-भाँति अवगत हो।

विषय चयन में विश्वविद्यालय का बंधन-

बी.ए. प्रारम्भिक एवं बी.एस-सी. प्रारम्भिक कक्षाओं में विश्व विद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रुप/समूह के अंतर्गत ही प्रवेश मान्य होगा -

<u>अनिवार्य</u> (1) आधार पाठ्यक्रम: हिन्दी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा (2) पर्यावरण अध्ययन बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम.प्रथम वर्ष

2. बी.ए. प्रारम्भिक - निम्नांकित विषयो मे से किन्ही तीन विषयो का चयन करें किन्तु साहित्य के तीनो विषयों का एक साथ चयन मान्य नही है। (1) समाज शास्त्र(2) अर्थशास्त्र (3) राजनीतिशास्त्र (4) इतिहास (5) भूगोल (6) हिन्दी साहित्य (7) अंग्रेजी साहित्य(8) संस्कृत (9) मनोविज्ञान
3. बी.एस-सी. प्रारंम्भिक (गणित समूह)
   (1) भौतिक शास्त्र , गणित , इलेक्ट्रॉनिक (2) भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित (3) भौतिक शास्त्र , भू गर्भ शास्त्र, गणित
4. बी.एस-सी. प्रारंभिक (बायो समूह) (1) रसायन , प्राणिशास्त्र , वनस्पति शास्त्र (2) रसायन , वनस्पतिशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र

5. कला/विज्ञान /वाणिज्य द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं हैं ।

6. महाविद्यालय में निम्न विषयों में शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध हैं ।

(अ) हिन्दी (ब) अर्थशास्त्र (स) अंग्रेजी (द) इतिहास (इ) भूगोल

(क) वाणिज्य (ख) गणित (ग) रसायन शास्त्र (घ) वनस्पति शास्त्र (ड) राजनीति शास्त्र

(च) भौतिक

छत्तीसगढ़ के शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

नोटः- छ.ग.वि.वि.अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत् सत्र 2017-18 के लिए प्रवेश के नियम एवं सिद्धान्तों का विवरण शासन से प्राप्त होने पर महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावेगा, तब तक के लिए शासन एवं विश्वविद्यालय से उपलब्ध प्रवेश नियम लागू रहेगें।

1. प्रयुक्तिः-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ के सभी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से हैं।

2. प्रवेश की तिथिः-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र ,जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं में 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय /बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क)में उल्लेखित,कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जायें , किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया , इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है किन्तु रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा । आवेदक ख ने स्थान (अ) जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही ,स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है ,अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक ,संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था , प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण /उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की

उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये प्रवेश दिया जाएगा। प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय /विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय /विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण-पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण- पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण -पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ- साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग / अनुशासनहीनता / तोड़फोड आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है का पालन किया जाये।

4.7 छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38 दिनांक 10.09.2014 के अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर का छात्राओं को शैक्षिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क मे छुट प्रदान करता है को पालन किया जाये।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ में है, उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाये।

5.2 स्नातक स्तर में नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस-सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों के क्रमश: द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर में नियमित प्रवेश:-

(क) बी.कॉम./बी.एच.एस-सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: एम. कॉम./एम.एच.एस-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, बी.एस-सी.उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए टी के टी नियम –

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में एटीकेटी नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों का अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय में नियमित प्रवेश :–

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय ,सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यह प्रक्रिया लागू होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :–

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनु.जनजाति/अनु.जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55 % अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) AICTE/ NCTE/ BCI/ MCL से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/ संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होगें।

6.समकक्ष परीक्षा:–

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.)इंडियन कौंसिल फॉर सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.)तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/ इंटरमीडिएट बोर्ड की 10 +2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी)के सदस्य हैं।उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय ,जैसे बी.ए./बी.काम. डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं ,जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है,की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एन वी ई क्यू एफ (National Vocational Educational Qualification Frame work) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सी.सी.एन एस क्यू एफ) अप्रैल 2014 के अनुसार –

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एन.एस.क्यू.एफ.) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एन वी ई क्यू एफ) में सूत्रबद्ध किये गए समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एन एस क्यू एफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है जिसमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गए एन वी ई क्यू एफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्ड द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गए और एन वी क्यू ई एफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य समस्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे है। ऐसे छात्र एन एस क्यू एफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये ताकि उन छात्रों को क्षेतिवीय गत्यामकता के लिए सुअवसर मिल सके।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :–

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम /बी.एस–सी. /बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण – पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण

आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा। किसी भी प्रकार की झुठी गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक ,निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट)प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम /द्वितीय /तृतीय में पूरक /एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम /द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 %पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र /छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप मे मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुन: नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा , उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व मे उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हो ,परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों / अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार /मारपीट करने के गंभीर आरोप हो /चेतावनी के वाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो ,ऐसे छात्र/ छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले /रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है।प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा–

(क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओं केा 3 वर्ष की छूट रहेगी।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार /भारत सरकार के मंत्रालय /कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों ,भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के त्रिवर्षीय स्नातक पाठयक्रम(सेमेस्टर प्रणाली) में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनु. जाति/अ.ज.जा. अन्य पि.वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग /विकलांग विद्यार्थियों /महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी। (विधि संकाय को छोड़कर)

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापति प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को ,विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है ,तो अधिभार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर ,तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार ,अर्हकारी परीक्षा में उतीर्ण नियमित /भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक /स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार ,अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित,भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उतीर्ण , परन्तु 48 प्रतिशत एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये ,अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/ तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/ तहसील/ जिले की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीस्थत स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/ तहसील/ जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/ विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाएगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा। किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण:-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् -

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि (यों) पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) नि:शक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तांकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटिशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटे अथवा अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाये गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.4.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the state government to take steps to treat them as socially and educationally backward

cleasses of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार –

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स –

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढा जावे –

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ का सर्वश्रेष्ट एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए	15 प्रतिशत

13.2 ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद /साहित्यिक /सांस्कृतिक /क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएँ :–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला ,सम्भाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग /क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :–

(क)	प्रथम ,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

(2) उपयुक्त कंडिका 13.4 (1)में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्सम्भाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय ,राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :–

(क)	प्रथम,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :–

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम,द्वितीय,अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों केमध्य यूथ अथवा विज्ञान /सांस्कृतिक /साहित्यिक /कला क्षेत्र मेंचयनित एवंप्रवास करनेवाले दल केसदस्योंको 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क)	छत्तीसगढ/म.प्र.का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10 प्रतिशत
(ख)	प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ की टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत

01 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को

13.7 विशेष प्रोत्साहन:-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड /एशियाड /स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक ,खेल एवं युवा कल्याण ,छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो ,एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है ,परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमीक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार अकादमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य सत्र के प्रमाण -पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय,तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण -पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 % घटाकर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जायेगा ,अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय /विषय /ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सिंतबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय /संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों ।

15.शोध छात्र:-

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच-डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वार निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं। जहाँ से उनका शोध आवेदन-पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध-प्रबन्ध को उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष:-

16.1 यदि किसी आवेदक को जाली प्रमाण-पत्रों गलत जानकारी,जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों,प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश प्रवेश मिल गया है तो उसे निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण , पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित तत्वों के सम्बन्ध में गलत जानकारी देने में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सुरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जावे।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसन / संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन,उच्च शिक्षा विभाग ,मंत्रालय को होगा।

सत्र 2017-18 के लिए महाविद्यालय की विभिन्न समितियां निम्नानुसार गठित की गई हैं।

1. अनुशासन समिति -

1. डॉ. रिजवान उल्ला	संयोजक
2. डॉ. आर.के. जायसवाल	सदस्य
3. डॉ. आभा जायसवाल	सदस्य
4. डॉ. एस.के. सिन्हा	सदस्य
5. श्री पंकज अहिरवार	सदस्य
6. श्री जे.आर. पैकरा	सदस्य
7. श्री संजीव लकड़ा	सदस्य

2. युवा उत्सव समिति -

1. श्रीमती सरोज तिर्की	संयोजक
2. डॉ. जसिंता मिंज	सदस्य
3. डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह	सदस्य
4. डॉ. तृप्ती बिश्वास	सदस्य

3. ग्रन्थालय/वाचनालय समिति -

1. डॉ. रशीदा परवेज	संयोजक
2. डॉ. आर.पी. सिंह	सदस्य
3. डॉ0 विजय लक्ष्मी शास्त्री	सदस्य
4. डॉ. मिलेन्द सिंह	सदस्य
5. डॉ. राज किशोर सिंह बघेल	सदस्य
6. श्री चमन कुमार	सदस्य

4. शिक्षक/अभिभावक समिति -

1. डॉ. जे.एन. पाण्डेय	संयोजक
2. समस्त, विभागाध्यक्ष	सदस्य

5. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ -

1. श्री आर.के. जायसवाल	संयोजक
2. डॉ. एस.एल. श्रीवास्तव	सदस्य
3. डॉ. आर.पी. सिंह	सदस्य
4. डॉ. प्रतिभा सिंह	सदस्य
5. ~~डॉ. विश्वासी एक्का~~	सदस्य

6. महिला उत्पीडन/शिकायत निवारण/लिंग हिंसा विरोधी समिति -

1. डॉ. रशीदा परवेज	संयोजक
2. डॉ. जसिन्ता मिंज	सदस्य
3. डॉ. ममता गर्ग	सदस्य
4. श्रीमति जेरमीना तिर्की	सदस्य

7. छात्रसंघ समिति -

1. डॉ. राज कमल मिश्रा	संयोजक
2. श्रीमती सरोज तिर्की	सदस्य
3. डॉ. एस.एन. पाण्डेय	सदस्य
4. डॉ. विश्वासी एक्का	सदस्य
5. डॉ. माधवेन्द्र तिवारी	सदस्य

8. युवा साहित्यिक/सांस्कृतिक समिति -

1. डॉ. आभा जायसवाल	संयोजक
2. डॉ. प्रतिभा सिंह	सदस्य
3. डॉ. विश्वासी एक्का	सदस्य
4. श्री जीतन राम पैकरा	सदस्य
5. श्रीमती संगीता पाण्डेय	सदस्य

9. कैरियर गाइडेंस समिति -

1. डॉ. एस.एन. पाण्डेय	संयोजक
2. श्री सुनील केरकेट्टा	सदस्य
3. श्री जीतन राम पैकरा	सदस्य
4. डॉ. मिलेन्द्र सिंह	सदस्य
5. सुनील अग्रवाल	सदस्य

10. अ.जा/अ.ज.जा./पि.वर्ग छात्रवृत्ति समिति -

1. डॉ. विजय कुमार शर्मा	संयोजक
2. डॉ. रिजवान उल्ला	सदस्य
3. श्रीमती सरोज तिर्की	सदस्य
4. डॉ. एच.डी. महार	सदस्य
5. डॉ. महेन्द्र मौर	सदस्य
6. श्री पी.के. एक्का	सदस्य

11. एन्टी रैगिंग समिति -

1. डॉ. आर.के. जायसवाल	संयोजक
2. डॉ. स्नेहलता श्रीवास्तव	सदस्य
3. डॉ. एच.डी. महार	सदस्य
4. डॉ. राजकमल मिश्रा	सदस्य
5. डॉ. जसिन्ता मिंज	सदस्य
6. डॉ. विश्वासी एक्का	सदस्य
7. डॉ. मिलिन्द्र सिंह	सदस्य
8. श्री पंकज कुमार अहिरवार	सदस्य

12. पर्यावरण सुरक्षा समिति -

1. डॉ. रिजवान उल्ला	संयोजक
2. डॉ. एस.के. सिन्हा	सदस्य
3. डॉ. माधवेन्द्र तिवारी	सदस्य
4. श्री संजीव लकड़ा	सदस्य
5. डॉ. मिलेन्द्र सिंह	सदस्य
6. डॉ. तृप्ति बिश्वास	सदस्य
7. डॉ. अजय पाल सिंह	सदस्य

13. सूचना का अधिकार समिति -

1. प्राचार्य	जनसूचना अधिकारी
2. डॉ. एस.के. सिन्हा	सहा.जन.सूचना अधिकारी

14. छात्रावास समिति -

1. प्राचार्य	संरक्षक
2. डॉ. एस.के. सिन्हा	सदस्य
3. श्री पी.के. एक्का	सदस्य
4. श्री व्ही. खाखा	सदस्य
5. श्री मनोज कुमार कश्यप	अधीक्षक

15. आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ -

1. डॉ. रिजवान उल्ला	संयोजक
2. डॉ. शोभित वाजपेयी	सदस्य
3. डॉ. राजकमल मिश्रा	सदस्य
4. श्रीमती सरोज तिर्की	सदस्य
5. डॉ. एस.एन. पाण्डेय	सदस्य
6. डॉ. एच. डी. महार	सदस्य

16. मनोवैज्ञानिक कौंसलिंग -

1. सुश्री तृप्ती विश्वास	संयोजक
2. श्रीमति ज्योति लकड़ा	सदस्य
3. श्रीमती संगीता पाण्डेय	सदस्य

17. महाविद्यालय योजना समिति -

1. डॉ. विजय कुमार शर्मा	संयोजक
2. समस्त विभागाध्यक्ष	सदस्य

18. परीक्षा समिति-

1. प्राचार्य/मुख्य नियंत्रक	अध्यक्ष
2. डॉ. रिजवान उल्ला	नियंत्रक
3. डॉ. शोभित वाजपेयी	सदस्य
4. श्रीमती सरोज तिर्की	सदस्य
5. श्रीमती संगीता पाण्डेय	सदस्य

19. क्रय समिति -

1. डॉ. रिजवान उल्ला	संयोजक
2. डॉ. आर.के. जायसवाल	सदस्य
3. श्रीमती सरोज तिर्की	सदस्य
4. डॉ. राजकमल मिश्रा	सदस्य
5. श्री व्ही. खाखा	सदस्य

20. उद्यान समिति -

1. श्री सुनील केरकेट्टा	संयोजक
2. श्री प्रदीप एक्का	सदस्य
3. डॉ. अजय पाल सिंह	सदस्य
4. श्री संजीव कुमार लकड़ा	सदस्य
5. डॉ. राज किशोर सिंह बघेल	सदस्य

प्रवेश समितियाँ
2017-2018
डॉ. एस.के.त्रिपाठी
प्राचार्य एवं संरक्षक

क्र.	कक्षा	संयोजक	सदस्य	कक्षा/विभाग
1.	एम.ए. हिन्दी	डॉ.(श्रीमती) रशीदा परवेज	-	हिन्दी विभाग
2.	एम.ए.अंग्रेजी	डॉ.राजकमल मिश्रा	-	अंग्रेजी विभाग
3.	एम.ए. इतिहास	डॉ.(श्रीमती) ममता गर्ग	-	इतिहास विभाग
4.	एम.ए. अर्थशास्त्र	डॉ. जे.एन.पाण्डेय	-	अर्थशास्त्र विभाग
5.	एम.ए. राजनीति विज्ञान	डॉ. एस.एल.श्रीवास्तव	-	राजनीति विभाग
6.	एम.ए. भूगोल	डॉ. आर.के.जायसवाल	-	भूगोल विभाग
7.	एम.ए. समाजशास्त्र	डॉ. प्रतिभा सिंह	-	समाज शास्त्र विभाग
8.	एम.काम	डॉ. शोभित वाजपेयी	-	वाणिज्य विभाग
9.	एम.एस.सी.भौतिक	डॉ. महेन्द्र मौर्य	-	भौतिक शास्त्र विभाग
10.	एम.एस.सी.रसायन	श्रीमती सरोज तिर्की	-	रसायन शास्त्र विभाग
11.	एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र	डॉ. रिजवान उल्ला	-	वनस्पति शास्त्र विभाग
12.	एम. एस.सी. प्राणी शास्त्र	श्रीमती जेरमिनातिर्की	-	प्राणी शास्त्र विभाग
13.	एम.एस.सी. गणित	श्रीमती संगीता पाण्डेय	-	गणित विभाग
14.	एम.ए./एम.एस.सी. मानवशास्त्र	श्रीमती ज्योति लकडा	-	मनोविज्ञान विभाग
15.	एम.एस. डब्ल्यू	श्री एस.ए.के. केरकेट्टा	-	भूगर्भशास्त्र
16.	एल.एल.एम.	डॉ. माधवेन्द्र तिवारी		
17.	बी.ए. प्रारम्भिक	डॉ. आभा जायसवाल	1. डॉ. विश्वासी एक्का 2. डॉ. प्रदीप एक्का 3. श्री अजय पाल सिंह 4. डॉ. विजय लक्ष्मी शास्त्री 5. डॉ. तृप्ती विश्वास	हिन्दी विभाग
18.	बी.ए.पूर्व	डॉ. जसिन्ता मिंज		राजनीति विज्ञान
19.	बी.ए. अंतिम	डॉ. ममता गर्ग		इतिहास विभाग
20.	बी.काम प्रारम्भिक	डॉ. सुनील अग्रवाल		वाणिज्य विभाग
21.	बी.काम पूर्व	डॉ. सुनील अग्रवाल	डॉ. महेन्द्र मौर्य	वाणिज्य विभाग
22.	बी.कॉम अंतिम	डॉ. सुनील अग्रवाल	डॉ.आर.के.एस. बघेल	
23.	बी.एस.सी. प्रारम्भिक(गणित)	डॉ.एस.के. सिन्हा श्रीमती संगीता पाण्डेय	-	रसायन विभाग
24.	बी.एस.सी. प्रारम्भिक(बायो)	श्रीमती सरोज तिर्की श्रीमती जेरमिना तिर्की		रसायन विभाग
25.	बी.एस.सी.पूर्व (गणित)	डॉ. महेन्द्र मौर्य	-	भौतिकी विभाग
26.	बी.एस.सी. पूर्व (बायो.)	डॉ.एच.डी. महार	-	वनस्पति विभाग
27.	बी.एस.सी. अंतिम (गणित)	डॉ.आर.के.एस. बघेल	-	प्राणीशास्त्र विभाग
28.	बी.एस.सी.अंतिम (बायो.)	डॉ. रिजवान उल्ला	-	वनस्पति शास्त्र विभाग
29.	एल.एल.बी.प्रथम सेमेस्टर	डॉ. माधवेन्द्र तिवारी	डॉ.मिलेन्द्र सिंह	विधि विभाग
30.	एल.एल.बी. तृतीय,चतुर्थ	डॉ. मिलेन्द्र सिंह	-	विधि विभाग
31.	एल.एल.बी.पंचम,षष्टम	श्री पंकज अहिरवार	-	विधि विभाग
32.	डी.सी.ए./बी.सी.ए./ पी.जी.डी.सी.ए.	डॉ. एस.एन.पाण्डेय		अंग्रेजी विभाग

महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ तथा प्रभार

1.	स्वशासी परिक्षाएँ	–	डॉ.रिज़वान उल्ला(परीक्षा नियंत्रक)
2.	छात्र संघ प्रभारी	–	राज कमल मिश्रा
3.	युवा उत्सव	–	श्रीमती सरोज तिर्की
4.	क्रीडा विभाग	–	श्री प्रदीप एक्का(प्रभारी)
5.	एन.सी.सी.	–	श्री पंकज अहिरवार
6.	राष्ट्रीय सेवा योजना	–	श्री संजीव लकडा (कार्यक्रम अधिकारी इकाई -1)
		–	डॉ. तृप्ती विश्वास (कार्यक्रम अधिकारी -2)
7.	ग्रंथालय प्राध्यापक प्रभारी	–	डॉ0 रशीदा परवेज
8.	रेडक्रास	–	श्री जीतन राम पैकरा
9.	महाविद्यालय रजिस्ट्रार	–	श्री व्ही. खाखा
10.	ग्रंथपाल	–	श्री चमन कुमार
11.	छात्रावास अधीक्षक	–	श्री मनोज कश्यप

प्रवेश शुल्क काउन्टर

क्रमांक	कक्षा	काउन्टर
1.	बी.ए. प्रथम	भौतिक विभाग
2.	बी.ए. द्वितीय	04
3.	बी.ए.अंतिम	02
4.	वाणिज्य स्नातक	03
5.	विज्ञान स्नातक	रसायन शास्त्र
6.	विधि संकाय	01
7.	स्नातकोत्तर (नियमित)	05

महाविद्यालयी विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु अधिकतम सीट संख्या सत्र 2016-17

क्र.	कक्षा	सीट	क्र.	कक्षा	सीट
1.	एम. ए. हिन्दी (प्रथम सेमेस्टर)	40	14.	एम.एस.डब्ल्यू (प्रथम सेमेस्टर)	60
2.	एम.ए. अंग्रेजी (प्रथम सेमेस्टर)	60	15.	एम.एस-सी/एम.ए.मानव शास्त्र(प्रथम सेमेस्टर)	30
3.	एम.ए. इतिहास (प्रथम सेमेस्टर)	30	16.	बी.कॉम. प्रारंभिक	350
4.	एम.ए.अर्थशास्त्र (प्रथम सेमेस्टर)	40	17.	बी.ए. प्रारंभिक	800
5.	एम.ए. राजनीति (प्रथम सेमेस्टर)	30	18.	एल.-एल.एम. (प्रथम सेमेस्टर)	30
6.	एम.ए. भूगोल (प्रथम सेमेस्टर)	30	19.	बी.एस-सी. प्रारंभिक	
7.	एम.ए. समाजशास्त्र (प्रथम सेमेस्टर)	30		बायोलॉजी	200
8.	एम.कॉम. (प्रथम सेमेस्टर)	40		गणित	150
9.	एम.एस.सी. रसायन (प्रथम सेमेस्टर)	30	20.	विधि प्रथम	320
10.	एम.एस.सी. भौतिक (प्रथम सेमेस्टर)	20	21.	पी.जी.डी.सी.ए.	30
11.	एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र (प्रथम सेमे.)	30	22.	बी.सी.ए.	60
12.	एम.एस.सी. वनस्पति (प्रथम सेमेस्टर)	30	23.	डी.सी.ए.	100
13.	एम.एस-सी. गणित (प्रथम सेमेस्टर)	30	24.	बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस	80

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर,सरगुजा (छ.ग.)
सत्र : 2017 – 18

जनभागीदारी समिति
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,अम्बिकापुर (सरगुजा)

शासन द्वारा जनभागीदारी समिति का गठन महाविद्यालय की आधारभूत संरचना एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विकास हेतु किया गया है। जनभागीदारी समिति अध्यक्ष– श्री संजय अग्रवाल,

जनभागीदारी समिति सदस्य– श्री विवेक दुबे, श्री नितिनकान्त दत्ता, श्री मुकेश अग्रवाल, श्री सचिन अग्रवाल, श्री रमेश पटेल, श्री शिव शंकर सिंह, श्री राकेश गुप्ता, श्री विश्वविजय सिंह तोमर, श्री सुभाष गुप्ता, श्री प्रेमानन्द तिग्गा, श्री धनंजय शिन्दे, सुश्री एकता सिरीकर

सचिव (पदेन) –प्राचार्य,राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,अम्बिकापुर

प्रवेशार्थियों के लिए आवश्यक सूचना

(ऐसे छात्र/छात्रा जिनके विकास खण्डों में शासकीय महाविद्यालय स्थित हैं उन्हें इस महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।)

(1) शिक्षण सत्र दिनांक 15.06.2017 से प्रारंभ होगा।

(2) समस्त कक्षाओं में प्रवेश शासन के नियमानुसार एवं गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेंगे,उनके आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते है।

(3) परीक्षा फल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित प्रवेश समिति से अनिवार्यतः प्रवेश ले लें। विलंब से दिये गये प्रवेश आवेदनों पर विचार संभव नहीं होगा।

(4) प्रवेश लेने के लिये आवेदन करने के एक सप्ताह पश्चात् छात्र अपना प्रवेश पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें,तथा अपना परिचय-पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें। यह बहुत आवश्यक है।

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित तिथि में आवेदन करें।

(6) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रवृति आवेदन पत्र नियत समय पर जमा करें।

(7) अवधान राशि (काशन मनी) देय होने पर उसकी रसीद जमा के पश्चात् मनीआर्डर कमीशन काटकर स्थाई पते पर भेजी जावेगी।

(8) स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली लागू है।

(9) परीक्षा देने की पात्रता के लिए कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

(10) महाविद्यालय प्रशासन एवं पठन-पाठन में छात्रों का सहयोग अपेक्षित है, महाविद्यालय के वातावरण को शांत एवं सुरम्य बनाना प्रबंधन एवं छात्र समुदाय दोनों का कर्त्तव्य है। अशांति फैलाना दण्डनीय है।

(11) अव्यवस्था,अनुशासनहीनता,आन्दोलन/हड़ताल,हिंसक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

(12) छात्र/छात्राएँ अपने वाहन निर्धारित स्टैण्ड में ही रखें। इस हेतु अनिवार्य रूप से टोकन लें।

(13) किसी प्रकार की शिकायत होने की दशा में शिकायत पेटी में पत्र डालें। पत्र में अपने नाम, कक्षा, रोल नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

(14) रैगिंग दण्डनीय अपराध है। यह मानवता को कलंकित करने वाला कृत्य है जिसकी भर्त्सना प्रत्येक को करनी चाहिए।